

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//आदेश//


क्रमांक B/809/चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 30-01/2021

श्री निलेश यादव, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय नियुक्ति पदोन्नति पर उच्च न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश फा.क्रमांक 4821/2018/21-ब(एक) दिनांक 05.10.2018 एवं उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1280/गोपनीय/2018/दो-2-1/2018(भाग-बी) दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरमौर जिला रीवा के पद पर पदस्थापित किये जाने और उनके द्वारा दिनांक 27.10.2018 को दोपहर पश्चात् कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उच्च न्यायिक सेवा के एंटी वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070/- में उनके वेतन का निर्धारण दिनांक 28.10.2018 से निम्नानुसार किया जाता है:-

प्राप्त वेतनमान रू. 39530-54010/- में प्राप्त वेतन	उच्च न्यायिक सेवा निर्धारित वेतन में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	देय दिनांक	आगामी वेतन वृद्धि का दिनांक
1	2	3	4
44770/-	27.10.2018 (दोपहर पश्चात्)	51550/-	28.10.2018
			स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य


माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 30/01/2021

पृष्ठांकन क्रमांक B/810/चार-12-14/10

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री निलेश यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरमौर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
रजिस्ट्रार(एम)